कोरीजेन्डम

दिनांक 11 जनवरी, 1978

क्रमांक 3125-ज(I)-77/1146.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1796-ज(I)-77/27302, दिनांक 2 नवम्बर, 1977 जो कि हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 8 नवम्बर, 1977 में मुद्रित की गई है, के क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 के कालम नं० 3 में शब्द "राम नन्द" की बजाये "रामा नन्द", "हरफल सिंह" की बजाए "हरफूल सिंह" तथा "याकी राम" की बजाए "खाकी राम" तथा "पेसा राम" की बजाए "पेमा राम" पढ़ा जाये ।

क्रमांक 3221-ज(I)-77/1150.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती रुकमा देवी, विधवा श्री मोहर सिंह, गांव पड़तल, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 3071-ज(I)-77/1154.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जुगलाल, पुत्र श्री हरी राम, गांव धमाना, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी को खरीफ, 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1836-ज(I)-78/1158.—श्री केश राम, पुत्र श्री चेत राम, गांव नांगल, तहसील लोहारू, जिला भिवानी को दिनांक 30 मई, 1977 को हुई मृत्यु के फलस्वरूप उसे हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1292-ज(I)-77/19642, दिनांक 10 अगस्त, 1977 द्वारा प्रदान की गई युद्ध जागीर, मन्सूख की जाती है, क्योंकि नियमानुसार किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के पश्चात् जागीर मन्जूर नहीं की जा सकती।

2. पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है) और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री केश राम की विधवा श्रीमती मिसरी देवी को खरीफ, 1977 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 17 जनवरी, 1978

क्रमांक 3011-ज(II)-77/1684.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3 (1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रोहतक	श्री लालजी राम, पुत्र श्री बलदेव	लूला अहीर	झज्जर	रबी, 1974 से	रुपये 150
2	,,	श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री भीखू राम	कोसली	,,	रबी, 1973 से	150

दिनांक 18 जनवरी, 1978

क्रमांक 3066-ज(II)-77/1853.—श्री कली राम, पुत्र श्री गुमानी, गांव मातन, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक के चौथे लड़के की आपात काल में फौज में की हुई सेवा के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार

अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कली राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4790-आर(4)-67/3195, दिनांक 12 सितम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, को बढ़ा कर अब उसे रबी, 1973 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 19 जनवरी, 1977

क्रमांक **3068-ज(I)-77/1919**.—श्री ग्यानी राम, पुत्र श्री समरथ, गांव खेड़ी, बुश, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 21 नवम्बर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री ग्यानी राम को मुब्लिक 150 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10699-जे० एन०(III)-66/17392, दिनांक 3 अगस्त, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती बुजी के नाम खरीफ, 1976 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

आई० एम० खुंगर,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

HARYANA STATE LOTTERIES

CHANDIGARH

The 17th January, 1978

No. DOL/HR/73/255.—The Governor of Haryana is pleased to make the following Rules for the conduct of the 109th Draw to 114th Draw of Haryana State Lotteries, namely:—

1. These Rules may be called the Rules for the conduct of the 109th Draw to 114 Draw of Haryana State Lotteries.

2. There shall be only one Final Draw of Haryana State Lotteries to be held on Thursday the 9th February, 1978 Monday the 20th February, 1978, Thursday the 2nd March, 1978, Monday the 13th March, 1978, Thursday the 23rd March, 1978, and Monday the 3rd April, 1978 with the following prizes:—

1st prize	(1)	Rs. 1,00,000 in cash (Common to all series)
2nd prize	(1)	Rs. 10,000 in cash (Common to all series)
3rd prize	(5)	Rs. 1,0000 each (One prize from each series)
4th prize	(10)	Rs. 500 each (Two prizes from each series)
5th prize	(2000)	Rs. 20 each (Only 5 numbers of 3 digits to be drawn from the 1st block of 1000 tickets in each series which will be applicable to the subsequent such blocks in each respective series)

3. The Draw will be held in the presence of judges.

L. M. JAIN, I. A. S.,

Director, of Lotteries and Joint Secretary to Government, Haryana, Finance Department, Chandigarh.